"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 11 जनवरी 2007—पौष 21, शक 1928

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 18-44/20/2007.—राज्य शासन एतद्द्वारा बी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए छत्तीसगढ़ बी. एड. प्रवेश नियम 2006 के नियम 5 में खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (ग) स्थापित करता है :-

संशोधन

उक्त नियमों में

1. नियम 5 में खण्ड (ग) निम्नानुसार स्थापित किया जाये-

उपरोक्त आरक्षण नियम गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में लागू नहीं होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. के. खेतान, सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2007

क्रमांक एफ 18-44/20/2007.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9-1-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, सचिव.

Raipur, the 9th January 2007

NOTIFICATION

No. F 18-44/20/2007.—State Government hereby establishes following section "c" after the section "b" at the rule 5 in Chhattisgarh B. Ed. Pravesh rule 2006 for admission in B. Ed. course namely :-

AMENDMENT

In the above said rules

1. In rule 5 section "c" should be established namely—

above reservation rules will not be applicable in unaided minority institutions.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
C. K. KHETAN, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.